सं0-954/62-2-2017-2/3(11)/2017

प्रेषक,

संदीप कौर,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई संबंधित प्रखण्ड,

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 मई,2017

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-83 (एस0सी0एस0पी0) के अधीन जिला योजना में संचालित गहरी बोरिग योजना में लेखा अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम पॉच माहों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र सं0-जी-445/ल0सिं0/बजट-एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0/2017-18,दिनांक 07.4.2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02.01.2017 व दिनांक 20.03.2017 के संदर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 के कृषकों के लिए लेखा अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-623.64 लाख के सापेक्ष प्रथम पॉच माहों हेतु धनराशि रू0-259.85 (रूपया दो करोड उन्नसठ लाख पच्चासी हजार मात्र) को संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत पठारी क्षेत्रों मे गहरी बोरिंग की योजना में एस0सी0एस0पी0 के कृषको को अनुदान उपलब्ध कराये जाने के लिए व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाय।

(2) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(3) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सीमित रखा जाय। व्यय में की गई किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

(4) प्रत्येक बोरिंग के साथ ही कम से कम 25 पेड किसान स्थानीय स्तर पर अपने लिए उपयोगी समझे, लगाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

(5) प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन शासनादेश स0-3940/62-2-2012-2/2(10)/2012, दिनांक 20.11.2012 द्वारा निर्गत गाईड लाइन के अनुसार किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत योजना में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियॉ विभागों द्वारा गत वित्तीय वर्ष/विभागीय आवश्यकताओं को दृष्गित रखते हुए जनपदवार फॉट तैयार करते हुए इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि यथासमय जिला सेक्टर योजनाओं के लिए जनपदवार/योजनावार परिव्यय के निर्धारण के बाद आवश्यकतानुसार समायोजन करते हुए संशोधित की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि से भिन्न परिव्यय जनपद विशेष में आता है तो तदनुसार यथासमय स्वीकृतियॉ संशोधित कर ली जायेगी।

(7) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(8) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराये जायें।

1-	मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-	प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण	15.10.2017 तक
3-	व्ययाधिक्य तथा बचत का अंतिम विवरण	15.12.2017 तक
4-	वर्ष 2017-18 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15.02.2018 तक
4-	आवंटन का समर्पण	15.03.2018 तक

नोट:- दिनांक 15.03.2018 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- तत्संबंन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 के अधीन लेखा शीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-पठारी क्षेत्रों की लघु सिंचाई निर्माण कार्य योजना (जिला योजना)-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20.03.2017 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीया,
(संदीप कौर)
विशेष सचिव।

सं0-954(1)/62-2-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
8- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/3, उत्तर प्रदेश शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
12- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
13- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
14- एन0आई0सी0 की प्रति।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सं0-954/62-2-2017-2/3(11)/2017, दिनांक 03 मई,2017 का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन "लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-पठारी क्षेत्रों की लघु सिंचाई निर्माण कार्य योजना (जिला योजना)-27-सब्सिडी" में लेंखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 05 माह हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण।

(रूपया लाख में)

क्र0सं0	**जनपद**	**गत वर्ष में नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय**	**बजट प्राविधान**	**प्रथम 05 माह हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	मथुरा	3.56	3.56	1.78
2	मैनपुरी	1.78	1.78	1.78
3	बरेली	8.90	8.90	5.34
4	बदायूँ	17.80	17.80	10.68
5	कानपुर नगर	3.56	3.56	1.78
6	कानपुर देहात	3.56	3.56	1.78
7	इटावा	3.56	3.56	1.78
8	औरैया	44.50	44.50	26.70
9	फर्रूखाबाद	17.80	17.80	10.68
10	कन्नौज	8.90	8.90	5.34
11	इलाहाबाद	17.80	17.80	10.68
12	कौशाम्बी	37.40	37.40	21.36
13	फतेहपुर	17.80	17.80	10.68
14	झाँसी	35.60	35.60	21.36
15	जालौन	3.56	3.56	1.78
16	ललितपुर	200.25	200.25	117.45
17	चित्रकूट	17.80	17.80	8.90
	अतिरिक्त प्राविधान		179.51	
	योग-	**444.13**	**623.64**	**259.85**

(रू0-दो करोड उनसठ लाख पचासी हजार मात्र)

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।